

न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण सं 84/2021 Gcms No. 2021/232
दायरा तिथि : 22.09.2021
आदेश दिनांक: 19-07-22

प्रार्थीगण :-

1. जालमसिंह पुत्र मोतीसिंह चौहान जाति राजपुत
निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. पूरणसिंह पुत्र मूलसिंहजी राणावत जाति राजपुत
निवासी मोरी गांव तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
--: आदेश --:

दिनांक : 19-07-22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर धारित की जा रही खातेदारी भूमि ग्राम बरावल पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 92 रकबा 0.47 हैक्टर किस्म बाराणी द्योम की राजस्व नक्शे में तरमीम त्रुटिपूर्ण दर्ज होने से शुद्धि के जरिये नक्शे में तरमीम मौका स्थिति अनुसार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि खसरा नंबर 92 रकबा 0.47 हैक्टर किस्म प्रार्थीगण के खातेदारी में जमाबंदी में दर्ज है तथा इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त भी 0.47 हैक्टर पर प्रार्थीगण का चला आ रहा है। परन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करते समय नक्शे में भूमि कम दर्शित कर दी तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण के खातेदारी का कुछ भू0 भाग अप्रार्थी पडौसी में सम्मिलित करते हुये राजस्व नक्शे में दर्शित कर दिया। नक्शे में उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज होने से अप्रार्थी पडौस द्वारा प्रार्थी के खातेदारी भूमि की माठ व धोरा में जबरदस्ती तोड़फोड़ करने पर उतारू है। जिससे मौके पर विवाद न हो इसलिये राजस्व नक्शे में हुई त्रुटिपूर्ण तरमीम को शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 92 रकबा 0.47 हैक्टर की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रेकर्ड के संबंध में जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच करते हुये पटवारी हल्का, दुदनी एवं भू0अ0 निरीक्षक बेडा द्वारा प्रस्तुत मौका जांच के अनुसार निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:-

1. यह है कि ग्राम बरावल के खसरा नंबर 92, 92/1, 92/211 राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी एवं ऑन लाईन नक्शा में खातेदारी खसरो अनुसार रकबा सही अंकित हैं। लेकिन नक्शा लट्टा एवं ऑन लाईन नक्शा अनुसार नरका नाप करने पर मिलान नहीं हो रहा है।
2. यह है कि वादी द्वारा सीमांकन लट्टा नक्शा एवं ऑनलाईन नक्शा से नाप करवाने पर जमाबन्दी अनुसार धारित रकबे से मिलान नहीं हो रहा है तथा खसरा नंबर 92 व 92/1 का रकबा खसरा नंबर 92/211 में लट्टा नक्शा व ऑन लाईन नक्शे में बेशी तरमीम हुआ है।

जांच के दौरान पटवारी हल्का, दूदनी व निरीक्षक भू0अ0 बेडा ने इस हेतु मौका स्थिति के अनुसार एक समेकित विवरण पत्र भी पेश किया:-

खसरा नंबर	रेकर्ड अनुसार क्षेत्रफल	ऑन लाईन नक्शा अनुसार क्षेत्रफल	शुद्धि व तरमीम योग्य रकबा
183/90	0.3967 हैक्टर	0.3300 हैक्टर	खसरा नंबर 90 मेंसे 0.0667 हैक्टर (+)
90	0.4400 हैक्टर	0.3770 हैक्टर	खसरा नंबर 90/2 मेंसे 0.0630+ 0.0667=0.1297 हैक्टर (+)
90/2	0.4400 हैक्टर	0.4636 हैक्टर	खसरा नंबर 90/212 मेंसे 0.1061 हैक्टर(+)
90/212	0.8500 हैक्टर	0.9900 हैक्टर	(-) 0.1061 हैक्टर
92	0.4700 हैक्टर	0.4488 हैक्टर	(+) 0.0212 हैक्टर
92/1	0.4000 हैक्टर	0.4257 हैक्टर	(-) 0.0212 हैक्टर
92/211	0.5000 हैक्टर	0.5270 हैक्टर	-

तहसीलदार, बाली ने अपने जांच प्रतिवेदन में उपरोक्तानुसार दुरस्ती के माध्यम से नक्शे में तरमीम शुद्धि किये जाने की अनुशंसा की गई। प्रकरण में तहसीलदार, बाली से विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् वकुलाय की बहस सुनी गई। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के खातेदारी में बरावल के खसरा नंबर 92 रकबा 0.47 हैक्टर दर्ज है एवं इसी अनुसार प्रार्थी मौके पर भी काबिज है।

पेज लगातार.....02

// 02 //
राजस्व विविध प्रकरण सं 84/2021 Gems No. 2021/232
अनवान जालमसिंह वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के खातेदारी में बरावल के खसरा नंबर 92 रकबा 0.47 हैक्टर दर्ज है एवं इसी अनुसार प्रार्थी मौके पर भी काबिज है। परन्तु राजस्व नक्शा में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज होने से नक्शे में शुद्धि की मांग प्रार्थी द्वारा की गई है। जिस तथ्य को अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा स्वीकार करते हुये नक्शे में शुद्धि किये जाने की अनुशंघा की गई है।

इस संबंध में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। 131. Maintenance of Map and Field Book- After the survey and record operation are over, the map and field book shall be maintained by the Land Records officer, in accordance with the rules made by the state Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book. According to section 131, the Land Record Officer (i.e. collector or S.D.O. as the case may be) shall be responsible for the proper maintenance of the map, and field book and to record necessary changes from time to time in accordance with the Raj. Land Revenue (Land Record) Rules, 1957.

इस संबंध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 में नक्शा (मानचित्र) के संबंध में वर्णित नियम 59 व 60 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निरीक्षक भू0 अभिलेख एवं संबंधित राजस्व अधिकारी नक्शे की शुद्धि किये लिये जिम्मेदार हैं। इस संबंध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 के अध्याय द्वितीय में वर्णित उपखण्ड अधिकारियों के कर्तव्य शीर्षक में वर्णित नियम 369 के अनुसार- उपखण्ड अधिकारी यद्यपि जिलाधीश के नियंत्रण में है फिर भी उसके साथ-साथ अपने उपखण्ड में अभिलेख नक्शे की शुद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे समस्त परिवर्तनों के आदेश देने के अधिकार हैं तथा समस्त विवादास्पद नामान्तरकरण के मामले हस्तान्तरण व परिवर्तन जो उसके ध्यान में आवे निस्तारण कर सकता है। कर्मचारीगण पर देख रेख करने के अलावा उसे विशेषतया यह देखना चाहिए कि पारित आदेश स्पष्ट संक्षिप्त हैं तथा इनकी पालना कर ली गई है। उपखण्ड अधिकारी की भू0 अभिलेख के सम्बन्ध में उन कर्तव्यों के अलावा जो वह न्यायिक हैं दृष्टि से सम्पन्न करता है। इसके साथ ही राज.भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत रिकार्ड में हुई त्रुटि को दोनो पक्षों के सहमत होने पर उपखण्ड अधिकारी बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर शुद्धि के आदेश दे सकता है।

इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थीगण के रिकार्ड आफ राईट्स जमाबंदी में बरावल के खसरा नंबर 92 रकबा 0.47 दर्ज है एवं इसी अनुसार प्रार्थीगण मौके पर भी काबिज है। परन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस में बरावल के खसरा नंबर 92 रकबा 0.47 हैक्टर का मिलान न होकर कम है, तथा प्रार्थी के खातेदारी के नक्शा ट्रेस में दर्शित कमी रकबा पडौसी के खातेदारी के खसरा नंबर में सम्मिलित है, जो रकबा पडौसी के राजस्व नक्शा में बेशी दर्ज है। जिस त्रुटिपूर्ण इन्द्राज दुरस्त किये जाने की अप्रार्थी भूमिधारी द्वारा अनुशंघा भी कर दी गई गई। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। माफिक जांच रिपोर्ट तहसीलदार, बाली प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम बरावल के खसरा नंबर 92 रकबा 0.47 हैक्टर के राजस्व नक्शा में पटवारी हल्का, दूदनी व निरीक्षक भू0अ0 बेडा द्वारा प्रस्तुत नक्शा व समेकित विवरण पत्र के अनुसार राजस्व नक्शे में शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निरीक्षक भू0अ0 बेडा व पटवारी हल्का, दूदनी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा व समेकित विवरण पत्र को आदेश का भाग माना जावे। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, दूदनी व निरीक्षक भू0अ0 बेडा आदेशानुसार राजस्व नक्शे में शुद्धि कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में 15 दिवस में प्रस्तुत करे। इस आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व संबंधित को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुंडे स्नेहल नाना)

आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 19-07-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री धायगुंडे स्नेहल नाना)
भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली